प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.05.2026

स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान मे 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर , 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर मय मैगजीन व 01 सफेद रंग की स्विफ्ट डियायर कार बरामद ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के नेतृत्व में स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च द्वारा दिनांक 03.05.2026 को ऑपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना वेव सिटी क्षेत्र से 02 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी, गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 02 अदद पिस्टल .32 बोर नाजायज, 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर मय मैगजीन व एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गयी। अभियुक्तो के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही थाना वेव सिटी से की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि वह दोनो काफी समय से नाजायज अस्लहों (पिस्टल, तमंचे व कारतूस) की तस्करी का काम करते है। पहले भी वह दोनो लोग इन अवैध अस्लहों (पिस्टल,तमंचे) की तस्करी अन्य जगहों पर अच्छे दामो मे चुके है तथा अवैध अस्लहों की तस्करी मे पूर्व में जेल भी जा चुके है। आज भी वह दोनो उनसे बरामद अवैध पिस्टल व कारतूसों को बम्हैटा निवासी एक व्यक्ति से खरीद कर लाये है तथा अच्छे दाम मिलने पर बेचने के लिए गाड़ी से छिपते छिपाते जा रहे थे।

अभियुक्त का नाम व पता

1.शास्वत अग्रवाल पुत्र अश्वनी अग्रवाल निवासी मोहन नगर कालोनी पिलखुआ थाना पिलखुआ जनपद-हापुड उम्र करीब 24 वर्ष

2.अमन उर्फ अन्नू पुत्र जाहिद निवासी मेरठ गर्ल्स इण्टर कॉलेज के सामने लोहियानगर थाना लोहिया नगर जनपद-मेरठ उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

1.आपराधिक इतिहास अभियुक्त शास्वत अग्रवाल-

1.मु0अ0स0-454/22 धारा-307/504/34 भादवि थाना पिलखुआ जनपद- हापुड
2.मु0अ0स0-458/22 धारा-3/25 ए.एक्ट थाना पिलखुआ जनपद- हापुड
3.मु0अ0स0-379/23 धारा-3/25 ए.एक्ट थाना पिलखुआ जनपद- हापुड
4.मु0अ0स0-478/23 धारा-323/307//506/427 भादवि व 3/25 ए.एक्ट थाना पिलखुआ हापुड
5.मु0अ0स0-106/26 धारा-3/25 ए.एक्ट थाना वेव सिटी गाजियाबाद

2.आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन उर्फ अन्नू-

1.मु0अ0स0-464/20 धारा-307 भादवि थाना ब्रहमपुरी जनपद- मेरठ
2.मु0अ0स0-1158/21 धारा-25/35/5 ए.एक्ट थाना मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद
3.मु0अ0स0-363/22 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद
4.मु0अ0स0-794/22 धारा- 174 A भादवि थाना मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद
5.मु0अ0स0-106/26 धारा-3/25 ए.एक्ट थाना वेव सिटी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

1.नाजायज पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन – 02 अदद

2.कारतूस .32 बोर- 04 अदद

3.सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार रजिस्ट्रेशन नम्बर-UP 14 GQ 3337

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना वेव सिटी पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल व मोटर साइकिल का लॉक तोडने में प्रयोग होने वाला लोहे का 01 सरिया बरामद।

आज दिनांक 04.05.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. दिपांशु उर्फ भानू पुत्र अशोक कुमार निवासी सागर एंक्लेव बसन्तपुर सैथली थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. नितिन उर्फ अर्जुन पुत्र दिनेश निवासी ग्राम जलालपुर रघुनाथपुर थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को ग्राम सैंधली से ग्राम शोभापुर जाने वाले रास्ते पर चौकी क्षेत्र आईटीएस मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से थाना न्यू अशोक नगर ईस्ट दिल्ली क्षेत्र से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उपरोक्त मोटरसाइकिल की चोरी के सम्बन्ध में थाना न्यू अशोक नगर ईस्ट दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर धारा 345(3)/317(2)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हमारे पास मोटरसाइकिल के लॉक तोडने वाला सरिया है, जिससे हमने इस मोटरसाइकिल का लॉक तोडकर करीब 08 माह पूर्व न्यू अशोक नगर दिल्ली से चोरी की थी। हमने पकडे जाने के डर से नम्बर प्लेट बदल दी थी। आज हम इस मोटरसाइकिल से अन्य किसी वाहन चोरी की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. दिपांशु उर्फ भानू पुत्र अशोक कुमार निवासी सागर एंक्लेव बसन्तपुर सैथली थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
2. नितिन उर्फ अर्जुन पुत्र दिनेश निवासी ग्राम जलालपुर रघुनाथपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से थाना न्यू अशोक नगर ईस्ट दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल का लॉक तोडने में प्रयोग होने वाला लोहे का 01 सरिया बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त दिपांशु उर्फ भानू उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर चोरी का वाहन बरामदगी के आधार पर चोरी का 01 अभियोग व थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली में उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग, थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग (कुल अभियोग-03) पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त नितिन उर्फ अर्जुन उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग व थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली में उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग (कुल अभियोग -02) पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

गाजियाबाद पुलिस का अपराध के विरुद्ध सशक्त अभियान

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा सरिया चोर गिरोह के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित सरिया चोर गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

दिनांक-08/02/2026 को थाना वेव सिटी पर आदित्य वर्ल्ड सिटी मे निर्माणाधीन आदित्य कुटुम्बकम परियोजना में निर्माण कार्य के दौरान कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा मे इलैक्ट्रोनिक चिप लगाकर हेरा-फेरी कर कम्पनी के कर्मचारी व उसके अन्य साथियों के द्वारा सरिया चोरी करने की घटना के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0-32/26 धारा-318(4)/345(3)/338/ 336(3)/340(2)/61(2)(I)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनांक-03/05/2026 को उक्त सरिया चोरी प्रकरण में कार्यवाही करते हुए स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च व उक्त अभियोग के विवेचक द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नाजिम उर्फ गजनी पुत्र मन्नर निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जनपद-हापुड़ को थाना वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है।

इससे पूर्व उक्त प्रकरण मे कार्यवाही करते हुए स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च द्वारा उक्त सरिया चोर गिरोह के 06 सदस्यों को 52,350 किलोग्राम चोरी के सरिया, 06 ट्रक ट्राला, सरिया चोरी करने मे प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक चिप, चिप ऑपरेट करने वाले रिमोट तथा अन्य उपकरणों सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम उर्फ गजनी ने पूछताछ पर बताया कि वह पहले सरिया के ट्रक चलाता था, उसी दौरान उसकी मुलाकात सरिया चोर गिरोह के जहांगीर से हुई, जहांगीर कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटों में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से सरिया चोरी कर अवैध रुप से लाभ कमाता था तो मै भी उसके साथ सरिया चोरी का काम करने लगा तथा मैंने इसी काम से कमाये पैसों से 03 ट्रक भी बना लिये तथा उन तीनों ट्रको को भी सरिया चोरी करने में प्रयोग करने लगा था। आदित्य वर्ल्ड सिटी में आर.एस.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में

स्टोर इन्चार्ज श्रवण कुमार के साथ मिलकर उसके कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में इलेक्ट्रोनिक चिप लगाकर रिमोट की सहायता से सरिया चोरी करता था। उन तीनो ट्रकों को पहले ही पुलिस ने चोरी की सरिया सहित पकड़ लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.नाजिम उर्फ गजनी पुत्र मन्नर निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जनपद-हापुड उम्र करीब 36 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1.मोबाईल फोन- 01 अदद

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. नाजिम उर्फ गजनी पुत्र मन्नर निवासी उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0-032/2026 धारा 318(4)/345(3)/338/336(3)340(2)/ 61(2)(I)/317(2) बीएनएस थाना वेवसिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.मु0अ0स0-144/2017 धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना धौलाना जनपद-हापुड

3.मु0अ0स0-1137/2023 धारा-420/467/468/471/414/120बी भादवि थाना कविनगर जनपद-गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गोकशी के अभियोग में वांछित 15 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 14.10.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि गांव जलालाबाद के जंगल में खेडे मंदिर से आगे बाये तरफ चकरोड़ के पास खेत में गौ वंशो के अवशेष पडे हैं। अज्ञात लोगों द्वारा गौ वंशो की हत्या कर अवशेषो को यहा डाल दिया। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.10.2025 को पुलिस मुठभेड में गोकशी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त 1. हनीफ 2. हबीब 3. इकरार व दिनांक 04.12.2025 को अभियुक्त अब्दुल को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। प्रकाश में आया अभियुक्त रिजवान फरार चल रहा था, जिसके ऊपर उच्चाधिकारीगणों द्वारा 15 हजार रूपये का इनाम घोषित किया था।

तत्पश्चात दिनांक 03.05.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 15 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त रिजवान पुत्र मोमीन निवासी ग्राम अजराडा थाना मुण्डाली जिला मेरठ उम्र

करीब 62 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर जलालाबाद गांव के गन्ने के खेत में लावारिस घूमने वाले कुछ गौवंश को पकड़ कर गोकशी की घटना कारित की थी, वहाँ से मांस को दिल्ली ले जाकर बेच दिया था। मैं गिरफ्तारी के डर से इधर -उधर छिप रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

रिजवान पुत्र मोमीन निवासी ग्राम अजराडा थाना मुण्डाली जिला मेरठ उम्र करीब 62 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 07 वर्ष का कठोर कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्रीमती अंशु जैन तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कविनगर द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना कविनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 498ए/304बी भादवि व धारा 3/4 द0प्र0 अधि0 में अभियुक्त राजेश यादव पुत्र महेन्द्र प्रसाद, निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी लालकुंआ थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-07 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 04.05.2026 को धारा- 498ए भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 304बी भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 06 माह का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

वादी की बहन के साथ दहेज की मांग को लेकर अभियुक्त द्वारा उसके साथ किये गये उत्पीड़न से तंग आकर उक्त घटना घटित हुयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 09.07.2021 को थाना कविनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री रवि शर्मा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 राजीव वर्मा** पैरोकार थाना कविनगर

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 02.05.2026 को थाना खोडा पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दोपहर में किराये पर रह रहे किरायेदार गौरव ने मेरी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोडा पर धारा 65(1) बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 04.05.26 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र रामवीर नि0 ग्राम रजवाना पोस्ट औरंगाबाद थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 21 वर्ष को हीरो एजेंसी सर्विस रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं छीतर सिंह के मकान में किराये पर रहता हूँ जहाँ पर वादी भी किराये पर रहता था। वादी दिन में ड्यूटी पर चला जाता है उनकी बेटी घर पर अकेली रहती है। काफी दिनों से मैं उससे बातचीत करना चाहता था। परन्तु वह इच्छुक नहीं थी। दिनांक 02.05.26 को भी वह घर पर अकेली थी। अकेली देखकर मेरा मन बहक गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

- गौरव पुत्र रामवीर नि0 ग्राम रजवाना पोस्ट औरंगाबाद थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्द शहर उम्र करीब 21 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा उपद्रव के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना एवं कार्यवाही का विवरण:- दिनांक **04.05.2026** को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा, थाने पर पंजीकृत अभियोग धारा **109(1)/191(1)/191(2)/115(2)/127(2)/74/351(2) बीएनएस** में वांछित/फरार चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर **लालू खेत ग्राउंड** से निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **फारूख** पुत्र वली मोहम्मद (उम्र करीब 42 वर्ष)
2. **उमर** पुत्र वली मोहम्मद (उम्र करीब 40 वर्ष)
3. **मोहम्मद जैद** पुत्र फारूख (उम्र करीब 23 वर्ष)

तीनों अभियुक्त पीएसी चौक, छोटा कैला, कैला भट्टा, थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद के निवासी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का नाम व पता:

1. **फारूख** पुत्र वली मोहम्मद, निवासी: पीएसी चौक, छोटा कैला, कैला भट्टा, थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद।
2. **उमर** पुत्र वली मोहम्मद, निवासी: पीएसी चौक, छोटा कैला, कैला भट्टा, थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद।
3. **मोहम्मद जैद** पुत्र फारूख, निवासी: पीएसी चौक, छोटा कैला, कैला भट्टा, थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम, गाजियाबाद।